MALWANCHAL UNIVERSITY, INDORE
(A Private University Established by the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalay Adhiniyam No.17 of 2007)
Registration no. : MPPU20

Ref. No.: MU/RO/Declaration/2024/06(A)

Date: - 11.01.2024

DECLARATION

I here by declaration that section A of schedule 2 in Hindi taken from Madhya Pradesh Gazette dated 9th March 2018 [300 (2)] has been translated in English is presented.

Registrar
Malwanchal University,
Indore (M.P.)

Address : Index City, NH-59A, Nemawar Road, District Indore-452016 (M.P.), Ph./Fax : 0731-4013656
E-mail : registrar@malwanchaluniversity.com, **Website** : www.malwanchaluniversity.com

University Address :
Index City, NH-59A,
Nemawar Road,
District Indore-452016 (M.P.),
Ph./Fax : 0731-4013656

Corporate Office Address :
104, Trishul Apartment, 5 Sanghi Colony
A.B. Road, Indore-452008 (M.P.)
Email : info@malwanchaluniversity.com
Website : www.malwanchaluniversity.com

Madhya Pradesh Gazette, dated March 2018

Schedule-1 Qualification for admission (see rule-2(e))

S.no.	Programme	Qualifications for admission	comment
1.	MBBS	(1) As prescribed by the Medical Council of India (MCI) from time to time for the category and category of the candidate: (i) Obtaining minimum percentile in the selection examination; (ii) Minimum marks obtained in the qualifying examination (Higher Secondary, 10+2 etc.); And (iii) To be within the age limit. (2) To be a local resident (original resident) of Madhya Pradesh.	In case local residents of Madhya Pradesh are not available among the candidates registered for the second phase and subsequent phases of counselling, this qualification will automatically be considered relaxed for the vacancies available at that time.
2.	BDS	(1) As determined by the Dental Council of India (DCI) from time to time for the category and category of candidates:- (i) Obtaining minimum percentile in the selection examination; (ii) Minimum of qualifying examination (Higher Secondary, 10+2, etc.) And (iii) To be within the age limit. (2) To be a local resident (original resident) of Madhya Pradesh.	In case local residents of Madhya Pradesh are not available among the candidates registered for the second phase and subsequent phases of counselling, this qualification will automatically be considered relaxed for the vacancies available at that time.
3.	Diploma/ MD/MS	(1) To obtain the minimum percentile prescribed by MCI for the selection examination and category of the candidate. (2) Passing MBBS from a medical college recognized by MCI or passing	

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

		the screening test from the National Board of Examination in case of passing the qualifying examination elsewhere other than India. (3) Completion of internship as per the norms of MCI in a medical college recognized by MCI. (4) Having permanent/temporary registration in Madhya Pradesh Medical Council. (5) To be a local resident (original resident) of Madhya Pradesh.	This qualification will automatically be relaxed in the following circumstances:- (a) In case the candidate has passed the MBBS examination from any medical college situated in the state of Madhya Pradesh; And (b) In case local residents of Madhya Pradesh are not available among the candidates registered for the second phase and subsequent phases of counselling, this qualification will automatically be considered relaxed for the vacancies available at that time.
4.	MDS	(1) To obtain the minimum percentile prescribed by DCI for the selection according to the examination and category of the candidate. 2) Passing BDS from DCI recognized dental college or passing screening test from National Board of Examination in case of passing qualifying examination from elsewhere other than India. (2) Completion of internship as per DCI norms in a DCI recognized dental college. (3) Having permanent/temporary registration in Madhya Pradesh Dental Council. (4) To be a local resident (original resident) of Madhya Pradesh.	This qualification will automatically be relaxed in the following circumstances:- (a) In case the candidate has passed the BDS examination from any college situated in the state of Madhya Pradesh; And (b) In case local residents of Madhya Pradesh are not available among the candidates registered for the second phase and subsequent phases of counselling, this qualification will automatically be

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

			considered relaxed for the vacancies available at that time.
5.	A candidate will automatically be disqualified for admission to Diploma and Post Graduate courses (MD/MS and MDS) in the following circumstances: - 1. For admission to Diploma/Post Graduate course in any other subject for a period of 2 years from the date of passing the Diploma examination; And 2 For admission to Post Graduate course in any other subject within 3 years from the date of passing theDiploma or Post Graduate examination.		

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

2.1.1

Medical

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2018—फाल्गुन 18, शक 1939

तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2018

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2008 में सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2009 में जिन स्थानों पर जहां भी "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" शब्द आया उसके ठीक आगे निम्नानुसार शब्द प्रस्थापित किये जाते है।

"चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली निजी शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव.

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

299

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा व्दारा निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं,**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) '**अनिवासी भारतीय**' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनिवासी भारतीय;

(ख) '**अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी**' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो अनिवासी भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय का फर्स्ट डिग्री ब्लड (first degree blood) रिश्तेदार अथवा अनिवासी भारतीय पर आश्रित हो;

(ग) '**अन्य पिछड़ा वर्ग**' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.);

(घ) '**अनुसूची**' से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा व्दारा समय–समय पर जारी अनुसूचियॉं;

(ङ) '**अनुसूचित जनजाति**' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जनजाति;

(च) '**अनुसूचित जाति**' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जाति;

(छ) '**आवश्यक दस्तावेज**' से अभिप्रेत है, समय–समय पर **अनुसूची–3** में वर्णित दस्तावेज;

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

17. **शास्ति एवं दण्ड,–**

(1) निम्न परिस्थितियों में, अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3 वर्ष तक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 2 वर्ष तक स्वमेव अनर्हित होगाः–

(क) नियम 15 के सिवाय त्यागपत्र देने की दशा में;

(ख) प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की दशा में;

(ग) प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम से किसी भी समय पूर्णतः निष्कासित किया जाने की दशा में; एवं

(घ) नियम 16 के तहत प्रवेश निरस्त किया जाने की दशा में।

(2) अनूसची 3 में वर्णित किसी बन्धपत्र की शर्त के उल्लघंन की दशा में बन्धपत्र की राशि उल्लघंनकर्ता से एकमुश्त वसूल की जाएगीः

परंतु बंधपत्र देने वाला अभ्यर्थी बंध पत्र की राशि संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास एकमुश्त जमाकर किसी भी समय बंधपत्र से मुक्त हो सकेगा।

18. इन नियमों का निर्वचन तथा संशोधन से संबंधित विवाद की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

अनुसूची–1
प्रवेश हेतु अर्हता
(नियम–2 (ड) देखिए)

स.क.	पाठ्यकम	प्रवेश हेतु अर्हताएं	अभ्युक्ति
1.	एमबीबीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए मेडीकल काउन्सिल ऑफ इंडिया (MCI)व्दारा समय–समय पर निर्धारित:– (i) चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना; (ii) अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी, 10+2, आदि) में न्यूनतम प्राप्तांक होना; एवं (iii)आयु की परिधि में होना।	
		(2) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।
2.	बीडीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया (DCI)व्दारा समय–समय पर निर्धारित:– (i) चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना; (ii) अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी, 10+2, आदि) में न्यूनतम प्राप्तांक होना; एवं (iii)आयु की परिधि में होना।	
		(2) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिएपंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

3	डिप्लोम/ एमडी/ एमएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए MCI व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना। (2) MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना। (3)MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में MCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना।	
		(4)मध्यप्रदेश मेडीकल काउन्सिलमें स्थाई/अस्थाई पंजीयन होना। (5) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:- (अ) अभ्यर्थी व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं (ब) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

4.	एमडीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए DCI व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना। (2)DCI से मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से BDSउत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना। (2)DCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में DCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना। (3)मध्यप्रदेश डेंटल काउन्सिल में स्थाई/अस्थाई पंजीयन होना। (4) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:- (अ) अभ्यर्थी व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी महाविद्यालय से बीडीएसपरीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं (ब) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।
5.	डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.,एम.एस. एवं एमडीएस) में प्रवेश के लिए निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी स्वमेव अनर्हित होगा:- 1. डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए; एवं 2. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 3 वर्ष तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए।		

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C.
DEAN
INDORE

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)